

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 3384-II / व्यवसायिक-2022-23

दिनांक : 13-05-2022

प्रभारी अधिकारी विज्ञापन,

शासन द्वारा गैर आवासीय एवं आवासीय सम्पत्तियों के प्रचार-प्रसार के लिये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 378/9-आ-1 सम्पत्तियाँ/आ०ब०/2001 दिनांक 20 जून, 2001 (नीलामी गाईड लाईन्स) के पैरा सं0 5 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि :—

5. नीलामी सूचना का प्रकाशन—

सम्पत्ति की नीलामी के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार व प्रसार किया जायेगा जिसमें नीलामी का स्थान, तिथि एवम् समय उल्लिखित किया जाये तथा आरक्षित मूल्य के अनुसार निम्न प्रक्रिया प्रकाशन हेतु अपनाई जाय।

क्र० सं०	सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य	अखबारों में विज्ञापन	बरणों की संख्या
1.	रुपये 50.00 लाख तक	दो राज्य स्तरीय	एक बार
2.	रुपये 50.00 लाख से अधिक परन्तु रुपये 200.00 लाख तक	एक राष्ट्रीय एवम् एक राज्य स्तरीय	तदेव
3.	रुपये 200.00 से अधिक	दो राष्ट्रीय तथा दो राज्य स्तरीय	कुल 6 विज्ञापन

मितव्ययता की दृष्टि से अखबारों में अलग-अलग तिथि में दो-दो दिन के अन्तराल से विज्ञापन सूचना निकाली जाय तथा कम-से-कम दो बार अवश्य निकाला जाय।”

उपरोक्त शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रचार-प्रसार किया जाना है। उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 13-05-2022 के अनुपालन में माह मई, 2022 में दिनांक 31-05-2022 को नियत e-auction के विज्ञापन का प्रारूप इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया शासनादेश में उल्लिखित उपरोक्त व्यवस्था के दृष्टिगत, विज्ञापन समाचार पत्रों में 2-2 दिन के अन्तराल पर प्रकाशित कराकर सम्बन्धित समाचार पत्रों की कटिंग की एक-एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:—

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सहायक प्रोग्रामर को e-auction की सूचना प्राधिकरण की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

Program for e-auction					
Sr. No.	Actions/Activities	Start Date & Time		Expiry Date & Time	
1.	Online Registration, Application,	14-05-2022	11.00 Hrs.	--	--
2.	Downloading & uploading of documents and payment of EMD and Processing fee etc. for e-Auction on Website	18-05-2022	11.00 Hrs.	28-05-2022	17.00 Hrs.
3.	Submission of online Technical BID	18-05-2022	11.00 Hrs.	29-05-2022	17.00 Hrs.
4.	Opening & scrutiny of Application and Uploaded documents	30-05-2022	11.00 Hrs.	--	--
5.	e-Auction	31-05-2022	11.00 Hrs.	31-05-2022	14.00 Hrs. (Unlimited Auto extension of 5(five) minutes interval will be available if required)
6.	Opening of documents	--	--	31-05-2022	15.00 Hrs.

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवासीय व विभिन्न उपयोग की गैर आवासीय सम्पत्तियों को

E-AUCTION

के द्वारा प्राप्त करने के सम्बन्ध में

आवश्यक सूचना

मेरठ विकास प्राधिकरण की व्यवसायिक एवं गैर आवासीय श्रेणी में विभिन्न उपयोग की सम्पत्तियों को e-Auction से प्राप्त करने के सम्बन्ध में दिनांक 14-05-2022 से 31-05-2022 तक का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाईट www.mdameerut.in के e-auction लिंक पर उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि e-Auction हेतु उपलब्ध सम्पत्तियों में प्राधिकरण की विकसित योजनाओं में विभिन्न प्रकार के आवासीय भूखण्ड भी e-Auction से प्राप्त करने हेतु उपलब्ध हैं।

सचिव।

उपाध्यक्ष।

संख्या

मेरठ विकास प्राधिकरण

की

आवासीय योजनाओं में आवासीय भूखण्डों एवं लघु
उद्योग कम आवासीय भू—उपयोग के भूखण्डों को “जहाँ
है, जैसा है,” के आधार पर

e-Auctionपद्धति से

आवंटन हेतु नियम व शर्तों

की

विवरण पुस्तिका

e-Auction का प्रोग्राम : प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.in पर url
<https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।

विवरण पुस्तिका का 18 प्रतिशत GST सहित कुल मूल्य रूपये 590/- मात्र
(विवरण पुस्तिका मूल्य ₹ 500/- + 18 प्रतिशत GST ₹ 90/-)

मेरठ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में आवासीय भूखण्डों एवं लघु उद्योग कम आवासीय भू-उपयोग के भूखण्डों को e-AUCTION पद्धति से आवंटन हेतु नियम व शर्ते—

1. भूखण्डों का विवरण, स्थल क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण तथा e-Auction का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।
2. e-Auction में भाग लेने हेतु पात्रता—
 1. e-AUCTION में भाग लेने हेतु पात्रता—
 - (क) आवेदक भारत का नागरिक हो।
 - (ख) आवेदक की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष होनी चाहिये।
 - (ग) फर्म/साझेदारी फर्म/सोसायटी/कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
 - (घ) प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
 - (ङ.) व्यक्तिगत स्वामी।
 - (च) रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी (को-आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
 - (छ) ट्रस्ट (पंजीकृत/अपंजीकृत)।
 - (ज) एच०य०एफ०।
 - (झ) पंजीकृत कर्सोटियम (Consortium) फर्म।
 - (ण) अन्य (यदि आवेदनकर्ता किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो तो सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा।)।
 3. आवेदक को e-Auction में भाग लेने के लिये निम्नलिखित अभिलेख अपनी टेक्निकल बिड में अपलोड करने होंगे:-
 - (1) भूखण्डों की स्वःहस्ताक्षरारित विवरण पुस्तिका।
 - (2) निधारित Document Fee व EMD के भुगतान की रसीदें।

- (3) पैन कार्ड की प्रति ।
 - (4) आधार / वोटर कार्ड की स्व: प्रमाणित छाया प्रति ।
 - (5) कैन्सिल चैक की प्रति ।
 - (6) यदि आवेदनकर्ता कम्पनी, फर्म, समिति, ट्रस्ट आदि की ओर से भाग ले रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्व: प्रमाणित छाया प्रति ।
 - (7) कम्पनी / फर्म आदि की स्थिति में GST पंजीयन प्रमाण की स्व: प्रमाणित छाया प्रति ।
4. प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध e-Auction के निर्धारित प्रोग्राम अनुसार आवेदकों की bids नियत दिनाँक को e-Auction Program में आमन्त्रित है ।
5. e-Auction में शामिल सम्पत्तियाँ इस विवरण पुस्तिका में शामिल हैं जो प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है ।
6. प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत e-Auction पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों / फर्म / कम्पनीज़ आदि को इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष e-Auction हेतु 18 प्रतिशत GST सहित विवरण पुस्तिका शुल्क कुल मूल्य रुपये 590/- मात्र ०५ लाईन भुगतान करना होगा तथा अपना e-Auction के लिये रजिस्ट्रेशन कराते हुए Confidential Computerized code प्राप्त करना होगा ।
7. प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत e-Auction पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों / फर्म / कम्पनीज़ आदि को इच्छित सम्पत्ति के निर्धारित धरोहर राशि (EMD) का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction हेतु निर्धारित खाते में जिसका विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है, करना होगा । अन्यथा आवेदक e-Auction में भाग नहीं ले सकेगा ।
8. आवेदक / फर्म / कम्पनी द्वारा स्वयं के खाते से ही EMD की धनराशि प्रेषित की जाय तथा असफल होने के पश्चात उसी खाते में धनराशि वापस प्राप्त होगी ।

9. आवेदक / फर्म / कम्पनी द्वारा किसी अन्य के खाते से EMD की धनराशि प्रेषित नहीं की जाय, ऐसा करने पर किसी तकनीकी समस्या / विलम्ब के लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
10. e-Auction के माध्यम से आवेदकों द्वारा दी गयी अपनी दर को वापस नहीं लिया जा सकेगा।
11. ऐसे आवेदक जिन्होंने निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नियत दिनांक को प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर e-Auction में भाग लेने हेतु अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष निर्धारित Document Fee व EMD धनराशि का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction हेतु निर्धारित खाते में जमा कराने के पश्चात् अपनी टेकिनिकल बिडस् अपलोड कर दी है केवल वें आवेदक ही e-Auction में भाग ले सकते हैं।
12. आवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर अर्थात् निर्धारित समयावधि समाप्त होने से पूर्व टेण्डर फीस (Document Fee) व EMD की धनराशि प्रेषित करनी होगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात् धनराशि प्राप्त होने पर या अन्य तकनीकी कारणों से विलम्ब होने पर यदि आवेदक E-Auction में प्रतिभाग नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. e-AUCTION के माध्यम से आवेदकों द्वारा दी गयी अपनी दर को वापस नहीं लिया जा सकेगा।
14. ऐसे आवेदक जिन्होंने निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नियत दिनांक को प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर e-AUCTION में भाग लेने हेतु अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इच्छित सम्पत्ति के निर्धारित धरोहर राशि (EMD) का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-AUCTION हेतु निर्धारित खाते में जमा कर दी है, नियत दिनांक को केवल वें आवेदक ही e-AUCTION में भाग ले सकते हैं।
15. आवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर अर्थात् निर्धारित समयावधि समाप्त होने से पूर्व टेण्डर फीस (डोकुमेन्ट फीस) व EMD की धनराशि प्रेषित करनी होगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात् धनराशि प्राप्त होने पर या अन्य तकनीकी कारणों से विलम्ब होने पर यदि आवेदक E-Auction में प्रतिभाग नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

16. विवरण पुस्तिका में प्रकाशित रिक्त भूखण्डों की तालिका के अन्तिम कॉलम में प्रत्येक भूखण्ड के सम्मुख आवेदकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम् प्रति वर्ग मीटर बिड MINIMUM PER SQM BID for Auction का उल्लेख है। आवेदकों द्वारा विवरण पुस्तिका की तालिका में प्रति वर्ग मीटर की न्यूनतम् बिड (MINIMUM PER SQM BID) से कम अपनी बिड नहीं दें सकेंगे। अतः आवेदक द्वारा अपनी न्यूनतम् बिड के बराबर अथवा उससे ऊपर अपनी बिड दी जा सकेगी।
17. सम्पत्ति प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को विवराण पुस्तिका डाउनलोड करके सभी सूचनाओं सहित स्व: हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन कापी e-Auction में भाग लेने के लिये प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर अपलोड करनी होगी। सफल आवेदकों को जिनकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी उनको, स्वीकृति पत्र जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर उक्त समस्त स्व: हस्ताक्षरित, लोड किये गये प्रपत्रों की प्रति (Hard Copy), प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी।
18. e-Auction की निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् e-Auction समिति द्वारा आवेदकों द्वारा e-Auction में दी गयी दरों के प्रपत्र डाउनलोड करके आवेदकों की प्राप्त दरों का आंकलन किया जायेगा। आवेदकों की उच्चतम् दर के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति पर विचार करते हुए उच्चतम् दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को होगा। उनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवम् इसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।
19. e-Auction के माध्यम से प्राप्त दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के निर्णय तक उच्चतम् दर देने वाले आवेदक / e-Auction पद्धति से उच्चतम् दर देने वाले आवेदक की जमा धरोहर राशि(EMD), e-Auction हेतु निर्धारित खाते में जमा रहेगी। उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) को छोड़कर शेष आवेदकों की जमा धरोहर राशि (EMD) उनके खाते में RTGSके माध्यम से वापस की जायेगी।
20. आवेदक जिस भूखण्ड/भवन/दुकान के सापेक्ष निर्धारित Document Fee & EMD धनराशि अपने खाते से भुगतान कर अपनी टेक्निकल बिड अपलोड करेगा, वह उसी सम्पत्ति पर e-Auction में अपनी bids देने के लिये अधिकृत होगा। एक से अधिक सम्पत्ति हेतु प्रतिभाग करने पर प्रत्येक सम्पत्ति के लिये Online रजिस्ट्रेशन कराकर प्राप्त करना होगा तथा

Confidential Computerized code प्राप्त करना होगा सम्पत्ति के सापेक्ष धरोहर राशि (EMD) जमा करानी होगी।

21. आवेदकों के पक्ष में e-Auction पद्धति से भूखण्ड आवंटित हो जाने के पश्चात्, "भूखण्ड का फ्रीहोल्ड सहित मूल्य" अथवा "लीजरैन्ट सहित मूल्य" पचास लाख या उससे अधिक होने की स्थिति "भूखण्ड के फ्रीहोल्ड सहित मूल्य" अथवा "लीजरैन्ट सहित मूल्य" पर आयकर अधिनियम-1961 की धारा 194IA के अन्तर्गत देय 01 (एक) प्रतिशत टी०डी०एस० की धनराशि आवेदकों को मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पेन नं० AAALM0124D पर स्वयं जमाकर रसीद की छाया प्रति एवं आयकर विभाग द्वारा जारी "टी०डी०एस० जमा का प्रमाण पत्र" मेरठ विकास प्राधिकरण कार्यालय में जमा करना होगा।
22. e-AUCTION के पश्चात् भूखण्ड का आवंटन कम किश्त पत्र जारी होने के बाद स्थलीय माप अनुसार भूखण्ड का साईट प्लान प्राप्त होने पर यदि सम्पत्ति कॉर्नर पर स्थित होनी पायी जाती है तो भूखण्ड का मूल्य का 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्ज पृथक से देय होगा। यदि भूखण्ड के क्षेत्रफल में वृद्धि पायी जाती है तो नियमानुसार भूमि का अतिरिक्त मूल्य देय होगा तथा सम्पत्ति के मूल्य में कॉर्नर चार्ज शामिल करके 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड देय होगा।
23. प्रतिभागी द्वारा e-Auction में दी गयी उच्चतम् दर की स्वीकृति का सूचना पत्र/फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन कम किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं० 72 / 3488 / आठ-१-१४-३०विविध / 2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा। आवेदकों को उच्चतम् दर की स्वीकृति का सूचना पत्र/आवंटन कम किश्त पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिन में सकल मूल्य की शुद्ध 25% धनराशि {धरोहर राशि (EMD) का समायोजन करते हुए} प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। औद्योगिक भूखण्ड एवं सभी आवासीय श्रेणी के भूखण्डों की शेष 75 प्रतिशत धनराशि **8.95%** ब्याज दर के साथ 03 वर्ष की 06 समान छमाई किश्तों में देय होगी। प्रत्येक श्रेणी की सम्पत्ति के सापेक्ष पहली छमाई किश्त आवंटन धनराशि के देय दिनांक से छः माह में देय होगी। तदनुसार शेष 05 किश्तें 6-6 माह के अन्तराल पर देय होगी। आवंटन धनराशि एवं देय किश्तों का विवरण आवंटन कम किश्त पत्र में उल्लिखित कर निर्गत किया जायेगा।
24. सम्पत्ति का आवंटन—कम—किश्त पत्र निर्गत होने के साथ—साथ आवेदक को प्रोपर्टी कोड/आईडी प्राप्त करायी जायेगी, जो विशिष्ट कोड होगा।

आवेदक द्वारा आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष कोई भी धनराशि अथवा किश्त जमा करते समय रसीद पर प्रोपर्टी कोड का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

25. दण्ड ब्याज—

औद्योगिक भूखण्ड एवं सभी आवासीय श्रेणी के भूखण्डों की देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का **10.95%** वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज (आगणित प्रत्येक छमाही) अतिरिक्त देय होगा।

26. **e-AUCTION** का स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त एक माह की अवधि में जमा होने वाली धनराशि निर्धारित समय पर जमा न होने की दशा में आवंटन अनिवार्यतः निरस्त कर दिया जायेगा एवम् एक माह के अन्दर यदि उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**) निरस्त सम्पत्ति बहाल नहीं कराता है तो सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

27. भूखण्ड का विधिवत् आवंटन कम किश्त पत्र जारी हो जाने के उपरान्त धनराशि जमा न होने पर आवंटन निरस्त करके सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष जमा धनराशि का 25% धनराशि की कटौती करते हुए बची हुई धनराशि वापस की जायेगी। भूखण्ड के निरस्तीकरण का सूचना पत्र प्रेषित हो जाने के एक माह के अन्दर यदि उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**)/आवेदक, निरस्तशुदा भूखण्ड को बहाल नहीं कराता है तो भूखण्ड से बेदखल कर दिया जायेगा। यदि उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**)/आवेदक, भूखण्ड के निरस्तीकरण के उपरान्त एक माह में भूखण्ड की बहाली कराना चाहे तो दिनांक 07-12-2016 को सम्पन्न 108वीं बोर्ड बैठक द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयानुसार बहाली प्रक्रिया अपनाकर भूखण्ड की बहाली की जायेगी तथा भूखण्ड की देनदारी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देय होगी।:-

मद सं-08	<p>प्राधिकरण की योजनाओं में आबंटित सम्पत्ति के सापेक्ष भुगतान शिड्यूल के अनुसार देय धनराशि समय से जमा न करने पर हुए निरस्तीकरण उपरान्त बहाली के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्ध के अधीन रेस्टोरेशन का निर्णय लिया गया—</p> <p>(1) रेस्टोरेशन से पूर्व अध्यावधिक किश्तों में शामिल ब्याज की धनराशि को जमा करने पर ही रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय।</p> <p>(2) सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य (जिलाधिकारी की सर्किल दर) या नीलामी दर जो भी अधिक हो, पर रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय।</p>
----------	--	---

28. कब्जा हस्तान्तरण—

- (अ) आवंटित सम्पत्ति का कब्जा नकद भुगतान के आवंटियों को शत प्रतिशत धनराशि, भूखण्ड मूल्य में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का **12%** फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित पानी सीवर चार्ज व दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर विक्रय विलेख पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।
- (ब) किश्तों के आवंटियों को प्राथमिक स्टेज पर सम्पत्ति का कब्जा 25% (पच्चीस प्रतिशत) धनराशि, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का **12%** फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित पानी सीवर चार्ज व दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।
- (स) यदि आवंटी किश्तों के चलते हुए मध्यावधि में कब्जा प्राप्त करना चाहें, तो आवंटित सम्पत्ति का कब्जा तत्समय तक की देय किश्तों की धनराशि अप-टू-डेट जमा करने, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का **12%** फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित पानी सीवर चार्ज व दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।
29. आवंटित परिसम्पत्ति की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त देय स्टाम्प देयता का वहन आवंटी द्वारा किया जायेगा। पूर्ण धनराशि जमा होने के 6 माह के पश्चात् भूखण्ड की रजिस्ट्री कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा रूपये 1,000/- प्रति माह की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।
30. आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्ड के न्यूनतम् मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10% धनराशि सम्मिलित नहीं है। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी। भूखण्ड कार्नर का होने की दशा में उच्चतम् दर का **10%कॉर्नर चार्ज** अतिरिक्त देय होगा जिसको फ्रीहोल्ड चार्ज की भाँति, भूखण्ड की कीमत में शामिल करते हुए किश्तें निर्धारित की जायेगी।
31. भूखण्ड की रजिस्ट्री के समय लोकेशन चार्जेज शासनादेश के अनुसार देय होंगे।

32. फ्रीहोल्ड चार्ज का **12%**अंश सम्पत्ति के सकल मूल्य में जोड़कर ही सामान्य किश्तों के रूप में लिया जायेगा।
33. परिसम्पत्ति जिन प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिये ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।
34. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवम् विकास अधिनियम की धारा—15 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। भूखण्ड पर निर्माण अध्यावधिक शासनादेशों एवम् प्रचलित भवन निर्माण एवम् विकास उपविधि में उल्लिखित शर्तों, प्रतिबन्धों, उप—नियमों के अनुसार ही अनुमन्य किया जायेगा।
35. आवंटी, परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवम् साझी सुविधाओं को साफ सुधरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।
36. परिसम्पत्ति का आवंटन “जहाँ है जैसा है” पद्धति पर किया जायेगा।
37. **अन्य शर्ते—**
- (1) **e-Auction** में उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**) को विक्रय विलेख/पट्टा विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में शासन द्वारा जारी/निर्धारित शर्तों/नियमों/आदेशों का अनुपालन करना होगा।
 - (2) प्राधिकरण की किसी भी योजना में किसी कारणवश अथवा विधि बाध्यता के कारण प्रतिकर की धनराशि में बढ़ोत्तरी की स्थिति में भूखण्ड का मूल्य बढ़ता है तो वह उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**) द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू—राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**) से वसूल की जायगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।
 - (3) नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये e-AUCTION पद्धति से नीलाम की जा रही सम्पत्ति को e-AUCTION से हटाने/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।
 - (4) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।
 - (5) यदि किसी कारणवश आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण देने में असमर्थ होता है तो आवंटी से प्राप्त धनराशि बिना ब्याज बिना कटौती के वापस कर दी जायेगी।

(6) विक्रीत भूखण्ड पर भवन निर्माण, मेरठ महायोजना तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन 2017 के प्राविधानों एवं शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगा।

(7) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जिसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

e-AUCTION में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा—

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है जो मुझे मान्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर एवम् पूरा नाम व पता:-

नाम:.....

पिता / पति का नाम.....

मोनं० व

Email id :

पता
.....

Schemewise Detail of Residential Plots.								
SI. No.	SECTOR & POCKET	PROPERTY NO.	AREA	DETAILS OF PROPERTY	RESERVE RATE	RESERVE VALUE	EMD	MINIMUM PER SQM BID for Auction
DR. RAM MANOHAR LOHIA NAGAR HOUSING SCHEME								
1	C	C-454	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
2	C	C- 455	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
3	C	C- 456	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
4	C	C- 457	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
5	C	C- 458	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
6	I	I-132	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
7	I	I-133	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
8	I	I-134	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
9	I	I-136	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
10	I	I-142	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
11	I	I-143	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
12	I	I-153	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
13	I	I-156	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
14	I	I-161	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
15	I	I-162	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
16	I	I-163	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
17	I	I-164	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
18	I	I-165	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
19	I	I-166	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
20	I	I-167	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
21	I	I-168	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
22	I	I-171	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
23	I	I-172	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157

24	I	I-173	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
25	I	I-175	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
26	I	I-178	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
27	I	I-179	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
28	I	I-182	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
29	I	I-183	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
30	I	I-185	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
31	I	I-187	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
32	I	I-192	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
33	I	I-196	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
34	I	I-212	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
35	I	I-216	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
36	I	I-217	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
37	I	I-218	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
38	I	I-293	200	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
39	I	I-223	162	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
40	I	I-226	162	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
41	I	I-228	162	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
42	I	I-229	162	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
43	I	I-232	162	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
44	I	I-237	162	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
45	I	I-238	162	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
46	I	I-245	162	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
47	I	I-247	162	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
48	I	I-248	162	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
49	I	I-250	162	MIG Residential	15700	2543400	254340	157

50	I	I-254	162	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
51	I	I-255	162	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
52	I	I-258	162	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
53	I	I-259	162	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
54	M	M-167	144	MIG Residential	15700	2260800	226080	157
55	M	M-260	254	MIG Residential	15700	3987800	398780	157
SANIK VIHAR HOUSING SCHEME								
56	C	C-841	60	LIG Residential	15000	900000	90000	150
57	D	D-353	238.8	HIG Residential	17050	4071540	407154	171
58	D	D-38/1	285.25	HIG Residential	15500	4421375	442138	155
59	D	D-50	125.63	MIG Residential	18000	2261340	226134	180
GANGA NAGAR HOUSING SCHEME								
60	L	L-266/3	200.08	HIG Residential	16300	3261304	326130	163
VED VYAS PURI HOUSING SCHEME								
61	4B	B-395	120	MIG Residential	18480	2217600	221760	185

संख्या

मेरठ विकास प्राधिकरण

की

आवासीय योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों, व्यवसायिक कम आवासीय भूखण्डों, व्यवसायिक कम ग्रुप हाउसिंग, ग्रुप हाउसिंग, होटल, बारातघर / बैंकवट हाल, नर्सिंग होम, हैल्थ सेन्टर भू—उपयोग के भूखण्डों एवं शिक्षण संस्थाओं— “नर्सरी एवम् प्राईमरी स्कूल / जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल व डिग्री कालेज एवं उच्च शैक्षिक संस्थान” की स्थापना के लिये शैक्षिक भूखण्डों को “जहाँ है, जैसा है” के आधार पर e-Auction पद्धति से

आवंटन हेतु नियम व शर्तें

की

विवरण पुस्तिका

e-Auction का प्रोग्राम : प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।

विवरण पुस्तिका का 18 प्रतिशत GST सहित कुल मूल्य रुपये 1180/- मात्र
(विवरण पुस्तिका मूल्य रु 1,000/- + 18 प्रतिशत GST रु 180/-)

मेरठ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों, व्यवसायिक कम आवासीय भूखण्डों, व्यवसायिक कम ग्रुप हाउसिंग, ग्रुप हाउसिंग, होटल, बारातघर / बैंकवट हाल, नर्सिंग होम, हैल्थ सेन्टर भू-उपयोग के भूखण्डों एवं शिक्षण संस्थाओं— “नर्सरी एवम् प्राईमरी स्कूल / जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल व डिग्री कालेज एवं उच्च शैक्षिक संस्थान” की स्थापना के लिये शैक्षिक भूखण्डों को **e-Auction** पद्धति से आवंटन हेतु नियम व शर्ते—

1. भूखण्डों का विवरण, स्थल क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण तथा e-Auction का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।
2. e-Auction में भाग लेने हेतु पात्रता—

शैक्षिक भूखण्डों हेतु—

(अ) रजिस्टर्ड सोसायटी, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण—संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो (सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(ब) रजिस्टर्ड को—आपरेटिव सोसायटी, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण—संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो (को—आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(स) ट्रस्ट, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण—संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो (रजिस्टर्ड / बिना रजिस्टर्ड)।

(द) अन्य (यदि उपरोक्त से भिन्न हो तथा जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण—संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो)।

शैक्षिक भूखण्डों को छोड़कर अन्य गैर आवासीय सम्पत्तियों हेतु पात्रता—

- (क) आवेदक भारत का नागरिक हो।
- (ख) आवेदक की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष होनी चाहिये।
- (ग) फर्म/साझेदारी फर्म/सोसायटी/कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
- (घ) प्राईवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
- (ड.) व्यक्तिगत स्वामी।
- (च) रजिस्टर्ड को—आपरेटिव सोसायटी (को—आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
- (छ) ट्रस्ट (पंजीकृत/अपंजीकृत)।
- (ज) एच०यू०एफ०।

- (ज्ञ) पंजीकृत कर्सोटियम(Consortium)फर्मे।
- (ण) अन्य (यदि आवेदनकर्ता किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो तो सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा ।) ।
3. आवेदक को e-Auction में भाग लेने के लिये निम्नलिखित अभिलेख अपनी टेक्निकलकल बिड में अपलोड करने होंगे:-
- (1) भूखण्डों की स्वःहस्ताक्षरारित विवरण पुस्तिका ।
 - (2) निधारित Document Fee व EMD के भुगतान की रसीदें ।
 - (3) पैन कार्ड की प्रति ।
 - (4) आधार / वोटर कार्ड की स्वः प्रमाणित छाया प्रति ।
 - (5) कैन्सिल चैक की प्रति ।
 - (6) यदि आवेदनकर्ता कम्पनी, फर्म, समिति, ट्रस्ट आदि की ओर से भाग ले रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्वः प्रमाणित छाया प्रति ।
 - (7) कम्पनी / फर्म आदि की स्थिति में GST पंजीयन प्रमाण की स्वः प्रमाणित छाया प्रति ।
4. प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध e-Auction के निर्धारित प्रोग्राम अनुसार आवेदकों की bids नियत दिनांक को e-Auction Program में आमन्त्रित है ।
5. e-Auction में शामिल सम्पत्तियाँ इस विवरण पुस्तिका में शामिल हैं जो प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध हैं ।
6. प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत e-Auction पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों / फर्म / कम्पनीज़ आदि को इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष e-Auction हेतु 18 प्रतिशत GST सहित विवरण पुस्तिका शुल्क कुल मूल्य रुपये 1180/- मात्र ऑन लाईन भुगतान करना होगा तथा अपना e-Auction के लिये रजिस्ट्रेशन कराते हुए ConfidentialComputerized code प्राप्त करना होगा ।
7. प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत e-Auction पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों / फर्म / कम्पनीज़ आदि को इच्छित सम्पत्ति के निर्धारित धरोहर राशि (EMD) का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction हेतु निर्धारित खाते में जिसका विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक

पर उपलब्ध है, करना होगा। अन्यथा आवेदक e-Auction में भाग नहीं ले सकेगा।

8. आवेदक / फर्म / कम्पनी द्वारा स्वयं के खाते से ही EMD की धनराशि प्रेषित की जाय तथा असफल होने के पश्चात् उसी खाते में धनराशि वापस प्राप्त होगी।
9. आवेदक / फर्म / कम्पनी द्वारा किसी अन्य के खाते से EMD की धनराशि प्रेषित नहीं की जाय, ऐसा करने पर किसी तकनीकी समस्या / विलम्ब के लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
10. e-Auction के माध्यम से आवेदकों द्वारा दी गयी अपनी दर को वापस नहीं लिया जा सकेगा।
11. ऐसे आवेदक जिन्होंने निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नियत दिनांक को प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर e-Auction में भाग लेने हेतु अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष निर्धारित Document Fee व EMD धनराशि का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction हेतु निर्धारित खाते में जमा कराने के पश्चात् अपनी टेक्निकल बिड्स अपलोड कर दी है केवल वे आवेदक ही e-Auction में भाग ले सकते हैं।
12. आवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर अर्थात् निर्धारित समयावधि समाप्त होने से पूर्व टेण्डर फीस (Document Fee) व EMD की धनराशि प्रेषित करनी होगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात् धनराशि प्राप्त होने पर या अन्य तकनीकी कारणों से विलम्ब होने पर यदि आवेदक E-Auction में प्रतिभाग नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. शैक्षिक भूखण्डों के आवेदकों को तकनीकी ऑफर के साथ, विवरण पुस्तिका, समिति के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, यदि आवेदक ट्रस्टी हो तो ट्रस्ट का विलेख के अनुसार रूपये 10/- के जनरल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार शापथ पत्र व प्राधिकरण पक्ष में परीक्षण शुल्क अंकन रूपये 1,000/- **On line** जमा की रसीद अपलोड करना अनिवार्य है जिसका प्राधिकरण द्वारा परीक्षणोंपरान्त आवेदकों को e-Auction अनुमति दी जायेगी।
14. शैक्षिक भूखण्डों के आवेदकों को परीक्षण शुल्क वापस नहीं किया जायेगा परन्तु **On line paid** EMD ऐसे आवेदकों को, जिनका तकनीकी आवेदन/वाणिज्य आफर स्वीकृत नहीं होगा, बिना ब्याज बिना कटौती के **On line** शिक्षण संस्था के खाते में वापस कर दी जायेगी।

15. ऐसे आवेदकों—समितियों/ट्रस्ट की जमा धरोहर जब्त कर ली जायेगी जिनके पक्ष में शैक्षिक भूखण्ड का आवंटन पत्र जारी कर दिया गया हो और समिति/ट्रस्ट द्वारा आवंटन धनराशि जमा न कर पाने के कारण भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया गया हो अथवा किसी भी किश्त की देयता पर शैक्षिक भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया गया हो और ऐसे आवेदकों को पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में जमा धनराशि वापस नहीं की जायेगी।
16. यदि कोई आवंटी शैक्षिक भूखण्ड का आवंटन निरस्त कराना चाहे अथवा प्राधिकरण द्वारा किसी भी किश्त की बकायादारी पर प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया जाये तो धरोहर राशि जब्त करते हुए शेष जमा धनराशि में **15%** की कटौती करते हुए उनकी जमा धनराशि वापस की जायेगी।
17. विवरण पुस्तिका में प्रकाशित रिक्त भूखण्डों की तालिका के अन्तिम कॉलम में प्रत्येक भूखण्ड के सम्मुख आवेदकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम् प्रति वर्ग मीटर बिड MINIMUM PER SQM BID for Auction का उल्लेख है तथा रिक्त दुकानों की तालिका के अन्तिम कॉलम में दुकान के मूल्य के सापेक्ष प्रत्येक दुकान के सम्मुख आवेदकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम् बिड MINIMUM BID for Auction उल्लिखित है। आवेदकों द्वारा विवरण पुस्तिका की तालिका में प्रति वर्ग मीटर की न्यूनतम् बिड (MINIMUM PER SQM BID) एवं दुकानों के सम्मुख उल्लिखित दुकान की कीमत के सापेक्ष (MINIMUM BID) से कम अपनी बिड नहीं दें सकेंगे। अतः आवेदक द्वारा अपनी न्यूनतम् बिड के बराबर अथवा उससे ऊपर अपनी बिड दी जा सकेगी।
18. सम्पत्ति प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को विवरण पुस्तिका डाउनलोड करके सभी सूचनाओं सहित स्व: हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन कापी e-Auction में भाग लेने के लिये प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर अपलोड करनी होगी। सफल आवेदकों को जिनकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी उनको, स्वीकृति पत्र जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर उक्त समस्त स्व: हस्ताक्षरित, लोड किये गये प्रपत्रों की प्रति (Hard Copy), प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी।
19. e-Auction की निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् e-Auction समिति द्वारा आवेदकों द्वारा e-Auction में दी गयी दरों के प्रपत्र डाउनलोड करके आवेदकों की प्राप्त दरों का आंकलन किया जायेगा। आवेदकों की उच्चतम् दर के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति पर विचार करते हुए उच्चतम् दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को होगा। उनका निर्णय सभी पक्षों को

मान्य होगा एवम् इसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

20. e-Auction के माध्यम से प्राप्त दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के निर्णय तक उच्चतम् दर देने वाले आवेदक / e-Auction पद्धति से उच्चतम् दर देने वाले आवेदक की जमा धरोहर राशि(EMD), e-Auction हेतु निर्धारित खाते में जमा रहेगी। उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) को छोड़कर शेष आवेदकों की जमा धरोहर राशि (EMD) उनके खाते में RTGSके माध्यम से वापस की जायेगी।
21. आवेदक जिस भूखण्ड / भवन / दुकान के सापेक्ष निर्धारित Document Fee & EMD धनराशि अपने खाते से भुगतान कर अपनी टेकिनिकल बिड अपलोड करोगा, वह उसी सम्पत्ति पर e-Auction में अपनी bids देने के लिये अधिकृत होगा। एक से अधिक सम्पत्ति हेतु प्रतिभाग करने पर प्रत्येक सम्पत्ति के लिये Online रजिस्ट्रेशन कराकर प्राप्त करना होगा तथा Confidential Computerized code प्राप्त करना होगा सम्पत्ति के सापेक्ष धरोहर राशि (EMD) जमा करानी होगी।
22. हैल्थ सेन्टर/ नर्सिंग होम्स के भूखण्ड आवेदकों को e-Auction में भाग लेने के लिये आवेदक एम०बी०बी०एस० डिग्री प्राप्त चिकित्सक होना चाहिए। यदि आवेदनकर्ता समिति, ट्रस्ट अथवा कम्पनी आदि की ओर से भाग ले रहे हैं, तो उसका एक सदस्य एम०बी०बी०एस० डिग्री धारक होना अनिवार्य है तथा हैल्थ सेन्टर/ नर्सिंग होम की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट जिसमें वर्षावार वित्तीय एवम् भौतिक प्रगति/ गतिविधियों का हवाला दिया जायेगा, भी इसके साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। यदि आवेदक ने पूर्व में या वर्तमान में कोई हैल्थ सेन्टर/ नर्सिंग होम चलाया हो या चला रहे हों तो उसकी परफोरमेन्स को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण भी इसके साथ संलग्न किया जायेगा। व्यक्ति/ संस्था को अपनी वित्तीय स्थिति (हैल्थ सेन्टर/ नर्सिंग होम से सम्बन्धित) को प्रदर्शित करने के लिये विगत 3 वर्षों की बैलेन्स शीट, आयकर रिटर्न आदि संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
23. आवेदकों के पक्ष में e-Auction पद्धति से भूखण्ड आवंटित हो जाने के पश्चात्, “भूखण्ड का फ्रीहोल्ड सहित मूल्य” अथवा “लीजरैन्ट सहित मूल्य” पचास लाख या उससे अधिक होने की स्थिति “भूखण्ड के फ्रीहोल्ड सहित मूल्य” अथवा “लीजरैन्ट सहित मूल्य” पर आयकर अधिनियम-1961 की धारा 194IA के अन्तर्गत देय 01 (एक) प्रतिशत टी०डी०एस० की धनराशि आवेदकों द्वारा स्वयं चालान के माध्यम से मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पेन नं० AAALM0124D पर निर्धारित समय अवधि

(आवंटन—कम—किश्त निर्गत दिनांक से 30 दिन के अन्दर) में ही जमा कराते हुए चालान की प्रति/रसीद प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी होगी।

24. औद्योगिक भूखण्ड, लघु उद्योग कम आवासीय श्रेणी के भूखण्डों को छोड़कर शेष भूखण्डों, दुकान आदि का आवंटन कम किश्त पत्र जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि के अन्दर 25 प्रतिशत धनराशि के बजाय शत प्रतिशत (**100%**) भुगतान पर आवंटन दर से आंकलित मूल्य पर 2 (दो) प्रतिशत की छूट दी जायेगी। देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करने की दशा में धनराशि का प्राधिकरण के खाते में वास्तविक अन्तरण की तिथि को आधार माना जायेगा।
25. मेरठ विकास प्राधिकरण से e-Auction पद्धति से आवंटित औद्योगिक भूखण्ड का कब्जा अनुबन्ध/रजिस्ट्री कराने से पूर्व आवेदक को, औद्योगिक विभाग में एस०एस०आई० यूनिट के रूप में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
26. (1) प्रतिभागी द्वारा e-Auction में दी गयी उच्चतम् दर की स्वीकृति का सूचना पत्र/फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन कम किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं० 72 / 3488 / आठ—१—१४—३०विविध / 2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा। आवेदकों को उच्चतम् दर की स्वीकृति का सूचना पत्र/आवंटन कम किश्त पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिन में सकल मूल्य की शुद्ध 25% धनराशि {धरोहर राशि (EMD) का समोयोजन करते हुए} प्राधिकरण कोष में और जमा करनी होगी तथा भूखण्डों की बकाया 75% धनराशि 3 वर्ष की 6 समान छमाई किश्तों में **8.95%** वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। पहली छमाई किश्त, आवंटन धनराशि के देय दिनांक से छः माह में देय होगी। तदनुसार ही शेष अगली 5 छमाई किश्तों 6—6 माह के अन्तराल पर भी देय होगी। आवंटन धनराशि एवं देय किश्तों का विवरण आवंटन कम किश्त पत्र में उल्लिखित कर निर्गत किया जायेगा। देय धनराशि/देय किश्तों विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का **10.95%** वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज (आगणित प्रत्येक छमाही) अतिरिक्त देय होगा।

तथा

- (2) शैक्षिक भूखण्डों के आवंटियों को आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष भूखण्ड की जमा EMD धनराशि का समायोजन करते हुए शुद्ध 25 प्रतिशत धनराशि

आवंटन पत्र जारी दिनांक से 01 माह की अवधि के अन्दर तथा भूखण्ड की शेष **75%** धनराशि 5 समान वार्षिक किश्तों में **8.95%** वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। पहली वार्षिक किश्त आवंटन धनराशि के देय दिनांक से एक वर्ष में देय होगी। तदनुसार ही शेष अगली 4 वार्षिक किश्तें एक-एक वर्ष के अन्तराल पर देय होगी। देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का **10.95%** वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

- (3) यदि शैक्षिक भूखण्ड के आवंटी द्वारा भूखण्ड का आवंटन निर्गत होने पर भूखण्ड की जमा EMD धनराशि का समायोजन करते हुए शुद्ध **25%** धनराशि के बजाय कुल देय प्रीमियम का भुगतान अर्थात् शत प्रतिशत (**100%**) भुगतान पर आवंटन दर से आंकलित मूल्य पर 5 (पाँच) प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- (4) सम्पत्ति का आवंटन—कम—किश्त पत्र निर्गत होने के साथ—साथ आवेदक को प्रोपर्टी कोड/आईडी प्राप्त करायी जायेगी, जो विशिष्ट कोड होगा। आवेदक द्वारा आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष कोई भी धनराशि अथवा किश्त जमा करते समय रसीद पर प्रोपर्टी कोड का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
27. e-Auction का स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त एक माह की अवधि में जमा होने वाली धनराशि निर्धारित समय पर जमा न होने की दशा में आवंटन अनिवार्यतः निरस्त कर दिया जायेगा एवम् एक माह के अन्दर यदि उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**) निरस्त सम्पत्ति बहाल नहीं कराता है तो सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
28. शैक्षिक भूखण्डों को छोड़कर अन्य गैर आवासीय सम्पत्तियों का विधिवत् आवंटन पत्र/किश्त पत्र जारी हो जाने के उपरान्त धनराशि जमा न होने पर आवंटन निरस्त करके सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष जमा धनराशि का **25%** धनराशि की कटौती करते हुए बची हुई धनराशि वापस की जायेगी।
29. शैक्षिक, गैर आवासीय सम्पत्ति के निरस्तीकरण का सूचना पत्र प्रेषित हो जाने के एक माह के अन्दर यदि उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**)/आवेदक, निरस्तशुदा भूखण्ड को बहाल नहीं कराता है तो प्रश्नगत शैक्षिक भूखण्ड, गैर आवासीय सम्पत्ति से बेदखल कर दिया जायेगा। यदि उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**)/आवेदक, शैक्षिक भूखण्ड, गैर आवासीय सम्पत्ति के निरस्तीकरण के उपरान्त एक माह में सम्पत्ति की बहाली कराना चाहे तो दिनांक 07-12-2016 को सम्पन्न 108वीं बोर्ड बैठक द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयानुसार बहाली प्रक्रिया अपनाकर

भूखण्ड की बहाली की जायेगी तथा भूखण्ड की देनदारी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देय होगी।:-

मद सं-08	<p>प्राधिकरण की योजनाओं में आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष भुगतान शिड्यूल के अनुसार देय धनराशि समय से जमा न करने पर हुए निरस्तीकरण उपरान्त बहाली के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्ध के अधीन रेस्टोरेशन का निर्णय लिया गया—</p> <p>(1) रेस्टोरेशन से पूर्व अध्यावधिक किश्तों में शामिल ब्याज की धनराशि को जमा करने पर ही रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय।</p> <p>(2) सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य (जिलाधिकारी की सर्किल दर) या नीलामी दर जो भी अधिक हो, पर रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय।</p>
-------------	--	---

30. कब्जा हस्तान्तरण—

(अ) शैक्षिक भूखण्ड को छोड़कर शेष आवंटित सम्पत्ति का कब्जा नकद भुगतान के आवंटियों को शत प्रतिशत धनराशि, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का **12%** फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प डियूटी पर विक्रय विलेख पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा तथा हैल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम के आवंटी को **10%** लीजरेन्ट की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त पट्टा विलेख पंजीकृत कराकर कब्जा दिया जायेगा।

(ब) शैक्षिक भूखण्ड को छोड़कर शेष आवंटित सम्पत्ति के किश्तों के आवंटियों को प्राथमिक स्टेज पर सम्पत्ति का कब्जा 25% (पच्चीस प्रतिशत) धनराशि, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12% फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प डियूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा। फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन कम किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 72 / 3488 /आठ-1-14-30 विविध/ 2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा।

(स) यदि आवंटी किश्तों के चलते हुए मध्यावधि में कब्जा प्राप्त करना चाहें, तो आवंटित सम्पत्ति का कब्जा तत्समय तक की देय किश्तों की धनराशि अप-टू-डेट जमा करने, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का **12%** फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज,

प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प डयूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(द) हैल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम्स, बारातघर व बैंकवट हाल के भूखण्ड का आवंटन, लीज आधार पर होगा जिसके कब्जा अनुबन्ध/पट्टा विलेख इनमें से जो भी पहले निष्पादित हो, के समय 90 वर्ष की अवधि हेतु भूखण्ड मूल्य का **10%** लीजरेन्ट की धनराशि जमा करनी होगी शेष नियम शर्ते अन्य सम्पत्तियों की भाँति रहेगी।

(य) शैक्षिक भूखण्डों के आवंटियों को प्राथमिक स्टेज पर भूखण्ड मूल्य की 50 प्रतिशत धनराशि, 90 वर्ष की अवधि हेतु भूखण्ड मूल्य का **10%** लीजरेन्ट की धनराशि, पानी सीवर चार्ज, दस्तावेज शुल्क, यदि भूखण्ड कॉर्नर का है तो भूखण्ड मूल्य का 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्ज, भूखण्ड मूल्य+कॉर्नर चार्ज पर देय 10 प्रतिशत लीजरैन्ट की धनराशि जमा कराकर नियमानुसार देय स्टाम्प डयूटी पर किराया किश्त क्रय अनुबन्ध के निष्पादन उपरान्त भूखण्ड का कब्जा दिया जायेगा। शैक्षिक भूखण्ड के पट्टा विलेख के निष्पादन के समय नियमानुसार स्टाम्प डयूटी देय होगी। शैक्षक भूखण्ड की पूर्ण धनराशि जमा होने के 6 माह के पश्चात् शैक्षिक भूखण्ड का पट्टा विलेख निष्पादित कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा रूपये 1,000/- प्रति माह की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

(र) शैक्षिक भूखण्ड के आवंटियों को राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित शैक्षिक विभाग से शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

31. शैक्षिक भवन का निर्माण:-

आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कराने से पूर्व मानचित्र मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।

32. शैक्षिक भवन के निर्माण की अवधि:-

शैक्षिक भूखण्ड धारक के लिये यह आवश्यक होगा कि वह कब्जा प्राप्ति तिथि/पट्टा विलेख निष्पादित करने की तिथि जो भी पहले हो, से 3 वर्ष के अन्दर शैक्षिक भवन का निर्माण पूर्ण करके शिक्षण संस्था चलाने का कार्य आरम्भ कर दें अन्यथा/अथवा उनका आवंटन उपाध्यक्ष/नामित अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा तथा ऐसी दशा में कुल जमा धनराशि में से धरोहर राशि जब्त करते हुए शेष जमा धनराशि का 15% कटौती के पश्चात् बची हुई धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

33. शैक्षिक भूखण्ड का प्रयोग:-

आवंटित भूखण्ड का प्रयोग केवल निर्धारित शिक्षण संस्था चलाये जाने के लिये ही किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि शैक्षिक भूखण्ड का प्रयोग अन्यथा किया जा रहा है तो उपाध्यक्ष/नामित अधिकारी को आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

34. कर आदि की देयता:-

शैक्षिक भूखण्ड धारक द्वारा समस्त करों का भुगतान किया जायेगा।

35. प्रबन्ध समिति:-

प्रबन्ध समिति में मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के सचिव भी शिक्षण संस्था संचालन प्रबन्ध समिति का सदस्य होगे।

36. प्राधिकरण की 73वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31-5-2005 के मद सं0 9 के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित शैक्षिक भूखण्डों तथा प्राधिकरण सीमा में स्वीकृत होने वाले विद्यालयों/महा विद्यालयों में प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों को अनिवार्य रूप से दाखिला तथा प्राधिकरण से रियायती दरों पर पूर्व में आवंटित व भविष्य में आवंटित होने वाले शैक्षिक भूखण्डों में निर्मित विद्यालयों/महाविद्यालयों में, प्राधिकरण में कार्यरत् अधिकारियों/समस्त कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क में 50% छूट दी जाय। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि यह सुविधा प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों को भी दी जाये। तदनुसार आवंटी-समिति/ट्रस्ट द्वारा यह सुविधा प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों, प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के बच्चों को उपलब्ध करानी होगी जिस पर उच्चतम् निविदा/नीलामीदाता/आवंटी-समिति /ट्रस्ट सदैव कायम रहेगा और उच्चतम् निविदा/नीलामीदाता/आवंटी-समिति/ट्रस्ट द्वारा ऐसा न करने पर उसके पक्ष में हुए आवंटन को, बिना किसी सूचना के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

37. शैक्षिक भूखण्डों के सफल आवेदकों को “निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009” अधीन वर्तमान में लागू शासनादेश एवं भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

38. आवंटित परिसम्पत्ति की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त देय स्टाम्प देयता का वहन आवंटी द्वारा किया जायेगा। पूर्ण धनराशि जमा होने के 6 माह के पश्चात् भूखण्ड की रजिस्ट्री कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा रूपये 1,000/- प्रति माह की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

39. आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्ड के न्यूनतम् मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10% धनराशि सम्मिलित नहीं है। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी। भूखण्ड कार्नर का होने की दशा में उच्चतम् दर का **10%** कॉर्नर चार्ज अतिरिक्त देय होगा जिसको फ्रीहोल्ड चार्ज की भाँति, भूखण्ड की कीमत में शामिल करते हुए किश्तें निर्धारित की जायेगी।
40. भूखण्ड की रजिस्ट्री के समय लोकेशन चार्जज शासनादेश के अनुसार देय होंगे।
41. फ्रीहोल्ड चार्ज का **12%** अंश सम्पत्ति के सकल मूल्य में जोड़कर ही सामान्य किश्तों के रूप में लिया जायेगा।
42. परिसम्पत्ति जिन प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिये ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।
43. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवम् विकास अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। भूखण्ड पर निर्माण अध्यावधिक शासनादेशों एवम् प्रचलित भवन निर्माण एवम् विकास उपविधि में उल्लिखित शर्तों, प्रतिबन्धों, उप-नियमों के अनुसार ही अनुमन्य किया जायेगा।
44. आवंटी, परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवम् साझी सुविधाओं को साफ सुधरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।
45. परिसम्पत्तियों का आवंटन "जहाँ है, जैसा है" पद्धति पर किया जायेगा।
46. अन्य शर्ते—
- (1) **e-Auction** में उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**) को विक्रय विलेख/पट्टा विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में शासन द्वारा जारी/निर्धारित शर्तों/नियमों/आदेशों का अनुपालन करना होगा।
 - (2) प्राधिकरण की किसी भी योजना में किसी कारणवश अथवा विधि बाध्यता के कारण प्रतिकर की धनराशि में बढ़ोत्तरी की स्थिति में भूखण्ड का मूल्य बढ़ता है तो वह उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**) द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**) से वसूल की जायगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

(3) नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये e-Auction पद्धति से नीलाम की जा रही सम्पत्ति को e-Auction से हटाने / स्थगित / निरस्त करने का अधिकार होगा।

(4) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

(5) यदि किसी कारणवश आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण देने में असमर्थ होता है तो आवंटी से प्राप्त धनराशि बिना ब्याज बिना कटौती के वापस कर दी जायेगी।

(6) विक्रीत भूखण्ड पर भवन निर्माण, मेरठ महायोजना तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन 2017 के प्राविधानों एवं शासनादेश के अनुसार मेरठ विकास प्राधिकरण से मानरचित्र कराकर ही अनुसार अनुमत्य होगा।

(7) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जिसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

e-Auction में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा—

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है जो मुझे मान्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर एवम् पूरा नाम व पता:-
नाम.....

पिता का नाम.....

मो०नं० व

Email id :

पता.....

(केवल शैक्षिक भूखण्ड के आवेदकों के लिये)
शैक्षिक भूखण्डों के आवंटन हेतु तकनीकी अहताओं का मूल्यांकन—

क्र0
सं0

वाँछित प्रपत्र

1. शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु पंजीकृत संस्था/कम्पनी/सोसायटी/द्रस्ट का विवरण एवं पंजीकरण की अवधि/पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
2. शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट जिसमें वर्षावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति/गतिविधियों का विवरण दिया जायेगा, संलग्न करें।
3. पंजीकृत सोसाइटी/द्रस्ट द्वारा पूर्व में चलायी गयी शिक्षण संस्था का विवरण संलग्न करें।
4. पंजीकृत सोसाइटी/द्रस्ट द्वारा अपनी शिक्षण संस्था से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति के आंकलन हेतु विगत तीन वर्षों की चार्टेड एकाउंट द्वारा प्रमाणित बैलेन्स सीट की प्रति संलग्न करें।
5. पंजीकृत सोसाइटी/द्रस्ट भूखण्ड की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा (लिकिवड असेस्टस) का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. पंजीकृत सोसाइटी/द्रस्ट में कार्यरत् शैक्षिक स्टाफ, अध्यापक एवं अध्ययनरत् छात्रों आदि का विवरण निम्न प्रारूप पर संलग्न करें—

शिक्षण संस्था हेतु पंजीकृत सोसायटी/द्रस्ट में कार्यरत् स्टाफ आदि का विवरण

क्र0 सं0	कार्यरत् शिक्षण संस्था का नाम	कार्यरत् अध्यापक	अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या	कार्यरत् अन्य स्टाफ

(केवल शैक्षिक भूखण्ड के आवेदकों के लिये)

मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं— “नर्सरी एवं प्राईमरी स्कूल, हाईस्कूल, डिग्री कालेज एवं मैनेजमेन्ट इंस्टीट्यूट” की स्थापना के लिये तकनीकी ऑफर का प्रारूप

- | |
|-------------------|
| आवेदक |
| का |
| पास्पोर्ट साईज का |
| स्वहस्ताक्षरित |
| फोटो |
1. योजना का नाम
सैक्टर व पॉकेट व आवेदित भूखण्ड सं0
क्षेत्रफल वर्ग मीटर
 - (यदि आवेदनकर्ता—समिति/ट्रस्ट एक से अधिक योजना में अथवा एक से अधिक भूखण्डों स्कूल स्थापित करने की लिये इच्छुक हो तो उसे प्रत्येक आवेदित शैक्षिक भूखण्ड के तकनीकी आवेदन पत्र व वाणिज्य ऑफर, नीलामी आवेदन पत्र अलग—अलग विवरण पुस्तिका क्रय करके प्रस्तुत करना होगा।)
 2. समिति/ट्रस्ट के पदाधिकारी का नाम व पता जिसके माध्यम से समिति/ट्रस्ट की ओर से भूखण्ड के आवंटन हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है—
.....
.....
 3. आवेदनकर्ता समिति/ट्रस्ट का नाम
 4. (क) समिति इनमें से किसके अन्तर्गत आती है—रजिस्टर्ड सोसायटी/रजिस्टर्ड को—आपरेटिव सोसायटी/ट्रस्ट/अन्य और यदि इनसे भिन्न है, का विवरण
(ख) पंजीकरण संख्या व रजिस्ट्रेशन का वर्ष
पंजीकरण/नवीनीकरण कब से कब तक की अवधि के लिये मान्य है दिनांक से दिनांक तक
(ग) समिति/ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम व पता:—
.....
.....
 - (घ) समिति/ट्रस्ट के कार्यालय का टेलीफोन नम्बर: कार्यालय फैक्स
(ङ) प्रबन्धकारीणी सदस्यों के नाम व पतें, शैक्षिक योग्यता व उनके व्यवसाय व पते
.....
- (कृपया पूर्ण विवरण सहित सूची आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाय)
5. परीक्षण शुल्क के रूप में जमा धनराशि रूपये 1,000/- का विवरण —बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे—आर्डर संख्या जारीकर्ता बैंक का नाम
 6. आवेदक द्वारा विवरण पुस्तिका प्राधिकरण की वैबसाईट से प्राप्त की गयी है तो विवरण पुस्तिका शुल्क रूपये 1,000/- अदा करने हेतु संलग्न किये जा रहे बैंक ड्राफ्ट की संख्या दिनांक जारीकर्ता बैंक का नाम
 7. जमा धरोहर राशि का विवरण:— बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे—आर्डर संख्या दिनांक रूपये जारीकर्ता बैंक का नाम
 8. प्रस्तावित शिक्षण संस्था/स्कूल का निर्माण किस वित्तीय श्रोत्रों से प्रस्तावित है :—
.....(इसके प्रमाण में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।)
 9. आवेदित भूमि के कितने क्षेत्रफल पर निर्माण प्रस्तावित है:—

10. प्रस्तावित शिक्षण संस्था में विद्यार्थियों को क्या—क्या सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी:—
.....
.....
11. प्रस्तावित शिक्षण संस्था का निर्माण कब तक किया जाना प्रस्तावित है
12. प्रस्तावित शिक्षण संस्था के निर्माण के उपरान्त कब से चालाया जाना प्रस्तावित है
13. अन्य विवरण:—
.....
.....

नोट:—

- (1) शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट जिसमें वर्षवार वित्तीय एवम् भौतिक प्रगति/गतिविधियों का हवाला दिया जायेगा, इसके साथ संलग्न करें।
- (2) यदि आवेदन ने पूर्व में या वर्तमान में कोई शिक्षण संस्था चलायी हो या चला रहे हों तो उसकी परफोरमेन्स को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण दिया जायेगा, इसके साथ संलग्न किया जाये।
- (3) व्यक्ति/संस्था अपनी वित्तीय स्थिति (शिक्षण संस्था से सम्बन्धित) को प्रदर्शित करने के लिये विगत 3 वर्षों की बैलेन्स शीट, आयकर रिटर्न आदि संलग्न करें।
- (4) ऐसे तकनीकी ऑफर, जिनके साथ परीक्षण शुल्क एवम् पंजीकरण धनराशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पे—आर्डर संलग्न नहीं होगा, बिना कारण बतायें निरस्त कर दिये जायेंगे।

घोषणा:—

मैंने पंजीकरण हेतु दी गयी समस्त शर्तें पढ़ ली है, जो मुझे मान्य है।

.....
आवेदनकर्ता पदाधिकारी के हस्ताक्षर
व समिति/ट्रस्ट की मोहर।

×-×-×-×

Schemewise Detail of Non Residential Plots.								
SI. No.	SECTOR & POCKET	PROPERTY NO.	AREA	DETAILS OF PROPERTY	RESERVE RATE	RESERVE VALUE	EMD	MINIMUM PER SQM BID for Auction
DR. RAM MANOHAR LOHIA NAGAR HOUSING SCHEME								
1	B	BC-06	2974.8	Commercial	31400	93408720	9340872	314
2	B	BC-10	2357	Commercial	31400	74009800	7400980	314
3	B	BC-11	2960.3	Commercial	31400	92953420	9295342	314
4	B	BC-12	2960.9	Commercial	31400	92972260	9297226	314
5	D	D/C-07	1479.4	Commercial	31400	46453160	4645316	314
6	D	D/GH-1	2783.5	Group Housing	23550	65551425	6555143	236
7	D	D/GH-02	2754.6	Group Housing	23550	64870830	6487083	236
8	D	Petrol Pump	1620	Petrol Pump	23550	38151000	3815100	236
9	E	GH-1	4050	Group Housing	23550	95377500	9537750	236
10	E	GH-2	3801	Group Housing	23550	89513550	8951355	236
11	D	D/GH-03	2754.6	Group Housing	23550	64870830	6487083	236
12	E	E/C-1/2	528.88	Commercial	31400	16606832	1660683	314
13	E	E/C-2	1052.6	Commercial	31400	33051640	3305164	314
14	E	E/C-3	203.04	Commercial	31400	6375456	637546	314
15	E	E/C-4	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
16	E	E/C-5	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
17	E	E/C-6	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
18	E	E/C-9	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
19	E	E/C-10	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
20	E	E/C-11	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
21	E	E/C-12	203.04	Commercial	31400	6375456	637546	314
22	E	E/C-14	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
23	E	E/C-15	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
24	E	E/C-19	163.26	Commercial	31400	5126364	512636	314
25	E	E/C-20	162.18	Commercial	31400	5092452	509245	314
26	E	E/C-21	160.92	Commercial	31400	5052888	505289	314
27	E	E/C-22	201.3	Commercial	31400	6320820	632082	314
28	E	E/C-23	209.43	Commercial	31400	6576102	657610	314
29	E	E/C-24	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
30	E	E/C-25	162	Commercial	31400	5086800	508680	314

31	E	E/C-26	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
32	E	E/C-27	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
33	E	E/C-28	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
34	E	E/C-29	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
35	E	E/C-30	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
36	E	E/C-31	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
37	E	E/C-32	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
38	E	E/C-33	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
39	E	E/C-34	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
40	E	E/C-35	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
41	E	E/C-36	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
42	E	E/C-37	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
43	E	E/C-38	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
44	E	E/C-39	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
45	E	E/C-40	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
46	E	E/C-41	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
47	E	E/C-42	162	Commercial	31400	5086800	508680	314
48	I	CON.SHOP s	2418	CON.SHOP	31400	75925200	7592520	314
49	L	Commr	1650	Commercial	31400	51810000	5181000	314
50	L	Bank Post Office	1200	Bank Post Office	23550	28260000	2826000	236
51	L	Municipal Services	1184	Municipal Services	31400	37177600	3717760	314
52	M	Commr Facilities	1250	Commr Facilities	31400	39250000	3925000	314
53	M	Commr	3400	Commercial	31400	10676000 0	10676000	314
54	M	CON.SHOP	1400	CON.SHOP	31400	43960000	4396000	314
DEFENCE ENCLAVE HOUSING SCHEME								
55	B	BC-08	285.6	Commercial Com Residential	45000	12852000	1285200	450
56	B	BC-13	275	Commercial Com Residential	49500	13612500	1361250	495
57	B	BC-14	202.5	Commercial Com Residential	45000	9112500	911250	450
58	B	BC-17	202.5	Commercial Com Residential	45000	9112500	911250	450

59	B	BC-19	253.13	Commercial Com Residential	49500	12529935	1252994	495
60	B	BC-20	275	Commercial Com Residential	49500	13612500	1361250	495
61	B	BC-24	202.5	Commercial Com Residential	45000	9112500	911250	450
62	B	BC-27/1	178.23	Commercial Com Residential	45000	8020350	802035	450
63	B	BC-34	303.6	Commercial Com Residential	45000	13662000	1366200	450
64	B	BC-35	359.37	Commercial Com Residential	49500	17788815	1778882	495
65	B	COMM R	2000	SHOPPING CENTRE	49500	99000000	9900000	495
SHRADHAPURI PHASE-1 HOUSING SCHEME								
66	4	C-04	596	Commercial	46200	27535200	2753520	462
67	8	C-1/6	394.4	Commercial	40700	16052080	1605208	407
68	8	C-1/7	438.44	Commercial	40700	17844508	1784451	407
SHRADHAPURI PHASE-2 HOUSING SCHEME								
69	A	C-7	112.5	Commercial	44000	4950000	495000	440
70	C	Health CENTRE	2920	Health CENTRE	33600	98112000	9811200	336
71	C	CP-02	3100	Commercial	56000	17360000 0	17360000	560
72	C	CP-03	3100	Commercial	56000	17360000 0	17360000	560
73	C	CP-03/1	3105	Commercial	56000	17388000 0	17388000	560
74	C	POST OFFICE	171	POST OFFICE	29250	5001750	500175	293
75	C	CC-08	140	Commercial	39000	5460000	546000	390
76	C	CC-13	148.75	Commercial	39000	5801250	580125	390
77	C	CC-14	148.75	Commercial	39000	5801250	580125	390
78	C	CC-15	160.65	Commercial	42900	6891885	689189	429
79	C	CC-17	148.75	Commercial	39000	5801250	580125	390
80	C	CC-18	148.75	Commercial	39000	5801250	580125	390
81	C	CS-2	254.37	CON.SHOP	40700	10352859	1035286	407
82	D	CS-02	640	CON.SHOP	42900	27456000	2745600	429
PALLAV PURAM HOUSING SCHEME								
83	G	CON.SHOP -N	375	CON.SHOP	42900	16087500	1608750	429

84	G	CON.SHOP -S	375	CON.SHOP	42900	16087500	1608750	429
85	H	CON.SHOP	450	CON.SHOP	41800	18810000	1881000	418
86	I	CON.SHOP	550	CON.SHOP	41800	22990000	2299000	418
SANIK VIHAR HOUSING SCHEME								
87	B	CS	1139	CON.SHOP	34100	38839900	3883990	341
GANGA NAGAR HOUSING SCHEME								
88	B	C-02	1500	Commercial	52000	78000000	7800000	520
89	B	C-03	1500	Commercial	52000	78000000	7800000	520
90	B	C-04	1583.3	Commercial	57200	90564760	9056476	572
91	B	COMMUNITY CENTRE	1511.9	COMMUNITY CENTRE	26000	39309400	3930940	260
92	CP	CP-3	5588	Commercial	64000	357632000	35763200	640
93	CP	CP-05	1000	Commercial	38800	38800000	3880000	388
94	CP	CP-06	1000	Commercial	38800	38800000	3880000	388
95	CP	CP-07	1000	Commercial	38800	38800000	3880000	388
96	CP	CP-08	1000	Commercial	38800	38800000	3880000	388
97	CP	CP-09	1000	Commercial	38800	38800000	3880000	388
98	F	COMMUNITY CENTRE	1360	COMMUNITY CENTRE	17930	24384800	2438480	179
99	H	C-1/4	56.25	Commercial	34540	1942875	194288	345
100	H	Health CENTRE	10495	Health CENTRE	25300	265523500	26552350	253
101	I	Health CENTRE	500	Health CENTRE	17930	8965000	896500	179
102	I	C-1	240	Commercial	35860	8606400	860640	359
103	I	C-2	180	Commercial	32600	5868000	586800	326
104	I	C-3	180	Commercial	32600	5868000	586800	326
105	I	C-4	180	Commercial	32600	5868000	586800	326
106	I	C-5	180	Commercial	32600	5868000	586800	326
107	J	C-1	2500	Commercial	35200	88000000	8800000	352
108	K	POST OFFICE	700	POST OFFICE	26895	18826500	1882650	269
109	L	CON.SHOP	430	CON.SHOP	35860	15419800	1541980	359
110	K	C-1	800	Commercial	35860	28688000	2868800	359
111	M	C-1	400	Commercial	35860	14344000	1434400	359
112	N	C-2	530	Commercial	39120	20733600	2073360	391
113	NP	C-4/1	4089.5	Commercial	42240	172740480	17274048	422
114	NP	C-4/2	4089.5	Commercial	42240	17274048	17274048	422

						0		
115	P	COMMUNITY CENTRE	3150	COMMUNITY CENTRE	17930	56479500	5647950	179
116	P	BANK & POST OFFICE	2500	BANK & POST OFFICE	26895	67237500	6723750	269
117	P	CON.SHOP	1125	CON.SHOP	35860	40342500	4034250	359
118	V	C-1/1	200	Commercial	35860	7172000	717200	359
119	V	C-1/2	200	Commercial	32600	6520000	652000	326
120	V	C-1/3	200	Commercial	32600	6520000	652000	326
121	V	C-1/4	200	Commercial	32600	6520000	652000	326
122	V	C-1/5	200	Commercial	32600	6520000	652000	326
123	V	C-1/6	200	Commercial	32600	6520000	652000	326
124	V	C-1/7	200	Commercial	32600	6520000	652000	326
125	V	C-1/8	200	Commercial	32600	6520000	652000	326
126	V	C-1/9	200	Commercial	32600	6520000	652000	326
127	V	C-1/10	200	Commercial	32600	6520000	652000	326
128	V	C-1/11	200	Commercial	32600	6520000	652000	326
129	V	C-1/12	200	Commercial	32600	6520000	652000	326
130	V	C-2	3248.7	Commercial	38720	125789664	12578966	387
131	V	Health CENTRE	3780.65	Health CENTRE	19360	73193384	7319338	194
132	W	W/C-1/1	1072.49	SECTOR/CO VT. SHOPPING	38720	41526813	4152681	387
133	W	W/C-1/2	1096.75	SECTOR/CO VT. SHOPPING	35200	38605600	3860560	352
134	W	W/C-2/1	434.4	Commercial	36000	15638400	1563840	360
135	W	W/C-2/2	900	Commercial	36000	32400000	3240000	360
136	W	W/C-2/3	914.87	Commercial	36000	32935320	3293532	360
137	W	W/C-2/4	251.28	Commercial	36000	9046080	904608	360
138	W	W/C-2/5	144	Commercial	36000	5184000	518400	360
139	W	W/C-2/6	144	Commercial	39600	5702400	570240	396
140	W	W/C-2/7	144	Commercial	39600	5702400	570240	396
141	W	W/C-2/8	144	Commercial	39600	5702400	570240	396
142	W	W/C-2/9	144	Commercial	39600	5702400	570240	396
143	W	W/C-2/10	144	Commercial	39600	5702400	570240	396
144	W	W/C-2/11	144	Commercial	39600	5702400	570240	396
145	W	W/C-2/12	144	Commercial	39600	5702400	570240	396
146	W	W/C-2/13	144	Commercial	36000	5184000	518400	360
147	W	W/C-2/14	144	Commercial	36000	5184000	518400	360

148	W	W/C-2/15	201.67	Commercial	36000	7260120	726012	360
149	W	W/C-2/16	140.47	Commercial	39600	5562612	556261	396
150	W	W/C-2/17	138.35	Commercial	39600	5478660	547866	396
151	W	W/C-2/18	140.3	Commercial	39600	5555880	555588	396
152	W	W/C-2/19	145.81	Commercial	39600	5774076	577408	396
153	W	W/C-2/20	148.82	Commercial	39600	5893272	589327	396
154	W	W/C-2/21	146.93	Commercial	39600	5818428	581843	396
155	W	W/C-2/22	147.52	Commercial	39600	5841792	584179	396
156	W	W/C-2/23	144.25	Commercial	36000	5193000	519300	360
157	W	W/C-2/24	143.15	Commercial	36000	5153400	515340	360
158	W	W/C-2/25	144.62	Commercial	36000	5206320	520632	360
159	W	W/C-2/26	150.28	Commercial	36000	5410080	541008	360
160	W	W/C-2/27	152.76	Commercial	36000	5499360	549936	360
161	W	W/C-2/28	150.66	Commercial	36000	5423760	542376	360
162	W	W/C-2/29	152.52	Commercial	36000	5490720	549072	360
163	W	W/C-2/30	156.38	Commercial	36000	5629680	562968	360
164	W	W/C-3/1	1395.74	SECTOR/CO NVT. SHOPPING	36000	50246640	5024664	360
165	W	W/C-3/2	1794.16	SECTOR/CO NVT. SHOPPING	39600	71048736	7104874	396

RAKSHA PURAM HOUSING SCHEME

166	1	C-8	3043	COMMERCIAL COM GROUP HOUSING	43780	133222540	13322254	438
167	1	C-11	1000	Commercial	39800	39800000	3980000	398
168	1	C-2/12	150	Commercial	39800	5970000	597000	398
169	1	C-2/13	150	Commercial	39800	5970000	597000	398
170	1	C-2/14	150	Commercial	39800	5970000	597000	398
171	4	CS	305	CON.SHOP	47760	14566800	1456680	478

PANDAV NAGAR HOUSING SCHEME

172	G	PART-B	204.8	COMMERCIAL	48200	9871360	987136	482
-----	---	--------	-------	------------	-------	---------	--------	-----

VED VYAS PURI HOUSING SCHEME

173	1	POST OFFICE	900	POST OFFICE	27720	24948000	2494800	277
174	1	LOCAL SHOPPING	2550	LOCAL SHOPPING	36960	94248000	9424800	370
175	2B	COMMUNITY CENTRE	3200	COMMUNITY CENTRE	20328	65049600	6504960	203

176	2C	COMMERCIAL CENTRE	4690	COMMERCIAL CENTRE	40320	189100800	18910080	403
177	2	I.T.P.-1	9475	IT PARK	40656	385215600	38521560	407
178	2	I.T.P.-2	9208	IT PARK	36960	340327680	34032768	370
179	3	C-2	1222	Commercial	36960	45165120	4516512	370
180	3	C-3	1119.9	Commercial	36960	41391504	4139150	370
181	3	C-4	1398.7	Commercial	40656	56865547	5686555	407
182	3	C-5	1510	Commercial	40656	61390560	6139056	407
183	3	C-6	1250	Commercial	36960	46200000	4620000	370
184	3	C-7	1250	Commercial	36960	46200000	4620000	370
185	3	C-9	12310	Commercial	36960	454977600	45497760	370
186	3	C-9/1	336.75	Commercial	36960	12446280	1244628	370
187	3	C-9/2	250	Commercial	36960	9240000	924000	370
188	3	C-9/3	250	Commercial	36960	9240000	924000	370
189	3	C-9/4	250	Commercial	36960	9240000	924000	370
190	3	C-9/5	250	Commercial	36960	9240000	924000	370
191	3	C-9/6	250	Commercial	36960	9240000	924000	370
192	3	C-9/7	250	Commercial	36960	9240000	924000	370
193	3	C-9/8	250	Commercial	36960	9240000	924000	370
194	3	C-9/9	250	Commercial	36960	9240000	924000	370
195	3	C-9/10	250	Commercial	36960	9240000	924000	370
196	3	C-9/11	250	Commercial	36960	9240000	924000	370
197	3	C-9/12	396.75	Commercial	36960	14663880	1466388	370
198	3	C-10	3681	Commercial	36960	136049760	13604976	370
199	3	C-10/1	3681	Commercial	36960	136049760	13604976	370
200	3	C-11	3681	Commercial	36960	136049760	13604976	370
201	3	C-12	6322.4	Commercial	44352	280411085	28041108	444
202	3	C-13	784.25	Commercial	40656	31884468	3188447	407
203	3	C-14	681.00	Commercial	36960	25169760	2516976	370
204	3	C-15	729.90	Commercial	36960	26977104	2697710	370
205	3	C-16	777.90	Commercial	36960	28751184	2875118	370
206	3	C-17	1039.62	Commercial	40656	42266790.72	4226679	407
207	3	C-18	375.00	Commercial	40656	15246000	1524600	407
208	3	C-19	250.00	Commercial	36960	9240000	924000	370
209	3	C-20	250.00	Commercial	36960	9240000	924000	370
210	3	C-21	250.00	Commercial	36960	9240000	924000	370
211	3	C-22	250.00	Commercial	36960	9240000	924000	370

212	3	C-23	250.00	Commercial	36960	9240000	924000	370
213	3	C-24	250.00	Commercial	36960	9240000	924000	370
214	3	C-25	250.00	Commercial	36960	9240000	924000	370
215	3	C-26	250.00	Commercial	36960	9240000	924000	370
216	3	C-27	375.00	Commercial	40656	15246000	1524600	407
217	3	C-28	367.50	Commercial	40656	14941080	1494108	407
218	3	C-29	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
219	3	C-30	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
220	3	C-31	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
221	3	C-32	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
222	3	C-33	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
223	3	C-34	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
224	3	C-35	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
225	3	C-36	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
226	3	C-37	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
227	3	C-38	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
228	3	C-39	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
229	3	C-40	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
230	3	C-41	367.50	Commercial	40656	14941080	1494108	407
231	3	C-42	367.50	Commercial	40656	14941080	1494108	407
232	3	C-43	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
233	3	C-44	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
234	3	C-45	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
235	3	C-46	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
236	3	C-47	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
237	3	C-48	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
238	3	C-49	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
239	3	C-50	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
240	3	C-51	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
241	3	C-52	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
242	3	C-53	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
243	3	C-54	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
244	3	C-55	367.50	Commercial	40656	14941080	1494108	407
245	3	C-56	367.50	Commercial	40656	14941080	1494108	407
246	3	C-57	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
247	3	C-58	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
248	3	C-59	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
249	3	C-60	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
250	3	C-61	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
251	3	C-62	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
252	3	C-63	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370

253	3	C-64	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
254	3	C-65	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
255	3	C-66	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
256	3	C-67	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
257	3	C-68	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
258	3	C-69	367.50	Commercial	40656	14941080	1494108	407
259	3	C-70	367.50	Commercial	40656	14941080	1494108	407
260	3	C-71	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
261	3	C-72	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
262	3	C-73	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
263	3	C-74	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
264	3	C-75	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
265	3	C-76	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
266	3	C-77	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
267	3	C-78	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
268	3	C-79	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
269	3	C-80	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
270	3	C-81	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
271	3	C-82	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
272	3	C-83	367.50	Commercial	40656	14941080	1494108	407
273	3	C-84	367.50	Commercial	40656	14941080	1494108	407
274	3	C-85	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
275	3	C-86	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
276	3	C-87	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
277	3	C-88	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
278	3	C-89	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
279	3	C-90	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
280	3	C-91	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
281	3	C-92	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
282	3	C-93	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
283	3	C-94	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
284	3	C-95	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
285	3	C-96	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
286	3	C-97	367.50	Commercial	40656	14941080	1494108	407
287	3	C-98	367.50	Commercial	40656	14941080	1494108	407
288	3	C-99	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
289	3	C-100	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
290	3	C-101	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
291	3	C-102	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
292	3	C-103	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
293	3	C-104	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370

294	3	C-105	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
295	3	C-106	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
296	3	C-107	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
297	3	C-108	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
298	3	C-109	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
299	3	C-110	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
300	3	C-111	367.50	Commercial	40656	14941080	1494108	407
301	3	C-112	367.50	Commercial	40656	14941080	1494108	407
302	3	C-113	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
303	3	C-114	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
304	4	C-116	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
305	5	C-117	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
306	3	C-118	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
307	3	C-119	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
308	3	C-120	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
309	3	C-121	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
310	3	C-122	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
311	3	C-123	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
312	3	C-124	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
313	3	C-125	367.50	Commercial	40656	14941080	1494108	407
314	3	C-126	367.50	Commercial	40656	14941080	1494108	407
315	3	C-127	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
316	3	C-128	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
317	3	C-129	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
318	3	C-130	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
319	3	C-131	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
320	3	C-132	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
321	3	C-133	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
322	3	C-134	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
323	3	C-135	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
324	3	C-136	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
325	3	C-137	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
326	3	C-138	245.00	Commercial	36960	9055200	905520	370
327	3	C-139	367.50	Commercial	40656	14941080	1494108	407
328	3	OF-2	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
329	3	OF-3	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
330	3	OF-5	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
331	3	OF-6	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
332	3	OF-8	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
333	3	OF-9	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
334	3	OF-15	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277

335	3	OF-16	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
336	3	OF-17	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
337	3	OF-18	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
338	3	OF-19	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
339	3	OF-20	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
340	3	OF-21	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
341	3	OF-22	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
342	3	OF-23	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
343	3	OF-24	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
344	3	OF-25	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
345	3	OF-26	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
346	3	OF-27	1396.50	Office Use	30492	42582078	4258208	305
347	3	OF-28	1597.18	Office Use	30492	48701213	4870121	305
348	3	OF-29	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
349	3	OF-30	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
350	3	OF-31	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
351	3	OF-32	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
352	3	OF-33	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
353	3	OF-34	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
354	3	OF-35	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
355	3	OF-36	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
356	3	OF-37	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
357	3	OF-38	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
358	3	OF-39	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
359	3	OF-40	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
360	3	OF-41	750.00	Office Use	30492	22869000	2286900	305
361	3	OF-42	750.00	Office Use	30492	22869000	2286900	305
362	3	OF-43	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
363	3	OF-44	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
364	3	OF-45	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
365	3	OF-46	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
366	3	OF-47	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
367	3	OF-48	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
368	3	OF-49	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
369	3	OF-50	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
370	3	OF-51	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
371	3	OF-52	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
372	3	OF-53	562.50	Office Use	27720	15592500	1559250	277
373	4B	COMM R	8038.2	Commercial	40656	32680105 9	32680106	407
374	7-B	GH-03	4497.1	GROUP HOUSING	27720	12465961 2	12465961	277

375	7-B	GH-04	4965.1	GROUP HOUSING	30492	151395829	15139583	305
376	7-B	COMMERCIAL	1811.8	COMMERCIAL	36960	66964128	6696413	370
377	8	CS	529.53	CON.SHOP	36960	19571429	1957143	370
378	8	25A	1000	INDUSTRIAL	14700	14700000	1470000	147
379	8	39	450	INDUSTRIAL	14700	6615000	661500	147
SHATABDI NAGAR HOUSING SCHEME								
380	1-B	C-21	394.8	Commercial	30800	12159840	1215984	308
381	2	C-02	1000	Commercial	30800	30800000	3080000	308
382	2	C-03	1480	Commercial	30800	45584000	4558400	308
383	2	C-3/1	933.34	Commercial	30800	28746872	2874687	308
384	2	C-05	1000	Commercial	30800	30800000	3080000	308
385	2	C-09	1662	Commercial	30800	51189600	5118960	308
386	2	C-10	1662	Commercial	30800	51189600	5118960	308
387	2	C-13	1113.8	Commercial	30800	34305040	3430504	308
388	2	C-14	1140.4	Commercial	30800	35124320	3512432	308
389	2	C-15	917	Commercial	30800	28243600	2824360	308
390	2	C-16	1794.9	Commercial	30800	55282920	5528292	308
391	3	Health Centre	1750	Health Centre	15400	26950000	2695000	154
392	3	Commercial	6656	Commercial	30800	205004800	20500480	308
393	4C-A	GH	4223.5	GROUP HOUSING	23100	97562850	9756285	231
394	4C-A	Health CENTRE	10000	Health CENTRE	15400	154000000	15400000	154
395	4B	CON.SHOP	315	CON.SHOP	30800	9702000	970200	308
396	4c-A	Local Shopping Centre	12152	Local Shopping Centre	30800	374281600	37428160	308
397	4c-A	Library Community Facilites	3000	Library Community Facilites	15400	46200000	4620000	154
398	4C-D	C-18	200	Commercial	30800	6160000	616000	308
399	4C-D	C-19	250	Commercial	30800	7700000	770000	308
400	4C-D	C-20	120	Commercial	30800	3696000	369600	308
401	4C-D	C-21	120	Commercial	30800	3696000	369600	308
402	4C-D	C-22	120	Commercial	30800	3696000	369600	308
403	4C-D	C-23	120	Commercial	30800	3696000	369600	308
404	4C-D	C-24	250	Commercial	30800	7700000	770000	308
405	4C-E	C-3	100	Commercial	30800	3080000	308000	308
406	4C-E	C-5	83.53	Commercial	30800	2572724	257272	308

407	4C-E	C-6	62.43	Commercial	30800	1922844	192284	308
408	4C-E	C-7	63.69	Commercial	30800	1961652	196165	308
409	4C-E	C-8	64.95	Commercial	30800	2000460	200046	308
410	4C-E	C-9	66.21	Commercial	30800	2039268	203927	308
411	4C-E	C-10	90.32	Commercial	30800	2781856	278186	308
412	4C-E	C-11	59	Commercial	30800	1817200	181720	308
413	4C-E	C-12	60	Commercial	30800	1848000	184800	308
414	4C-E	C-13	60	Commercial	30800	1848000	184800	308
415	4C-E	C-14	60	Commercial	30800	1848000	184800	308
416	4C-E	C-15	60	Commercial	30800	1848000	184800	308
417	4C-G	Conv. Shopping	2100	Conv. Shopping	30800	64680000	6468000	308
418	4C-G	Community Facilites	12200	Community Facilites	15400	187880000	18788000	154
419	AIRP ORT ENCL AVE	C-1	1933.3	Commercial	30800	59545640	5954564	308
420	AIRP ORT ENCL AVE	C-2	1918.2		30800	59080560	5908056	308
421	AIRP ORT ENCL AVE	C-1	1933.1	HOTAL	30800	59539480	5953948	308
422	AIRP ORT ENCL AVE	C-2	1896.3	HOTAL	30800	58406040	5840604	308
SPORTS GOODS COMPLEX SCHEME								
423	B	Raw Material DEPO	1785	Raw Material DEPO	48000	85680000	8568000	480
Schemewise Detail of Educational Plots.								
Sl. No.	SECT OR & POCK ET	PROPERTY NO.	AREA	DETAILS OF PROPERTY	RESER VE RATE	RESERV E VALUE	EMD	MINIMU M PER SQM BID for Auction
GANGA NAGAR HOUSING SCHEME								
424	B	NS/PS	964.68	NURSERY SCHOOL	26000	25081680	2508168	260

425	I	PS	3400	PRIMARY SCHOOL	16300	55420000	5542000	163
426	L	NS/PS	1986.16	NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	16300	32374408	3237441	163
VED VIYASPURI HOUSING SCHEME								
427	4B	HS	2557.46	HIGH SCHOOL	18480	47261861	4726186	185
DR. RAM MANOHAR LOHIA NAGAR HOUSING SCHEME								
428	D	DC	10008	DEGREE COLLEGE	15700	157125600	15712560	157
SHATABDI NAGAR HOUSING SCHEME								
429	4C/A	NS/PS	3853.27	NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	15400	59340358	5934036	154
430	4C/A	MI	13480.4	MANAGEMENT INSTITUTE	15400	207598160	20759816	154
431	4B/B	NS/PS	4580	NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	15400	70532000	7053200	154
432	4C/C	NS/PS	3150	NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	15400	48510000	4851000	154
433	4C/E	NS/PS	6844	NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	15400	105397600	10539760	154
434	2	Kh-1031, 1105 & 1106 (Rethani)	5729.47	EDUCATIONAL, BARATGHA R/ BANQUET HALL/ Health CENTRE	15400	88233838	8823384	154
Details of Shops.								
	Sl. No.	SECTOR & POCKET	PROPERTY NO.	AREA	DETAILS OF PROPERTY	RESERVE VALUE	EMD	MINIMUM PER SQM BID for Auction
VIKAS VIHAR HOUSING SCHEME (SHOPS)								
	435	-	3	25.55	SHOP	2143400	214340	21434
	436	-	4	25.55	SHOP	2143400	214340	21434
	437	-	5	25.55	SHOP	2143400	214340	21434
	438	-	6	25.55	SHOP	2143400	214340	21434
	439	-	7	25.55	SHOP	2143400	214340	21434
	440	-	8	25.55	SHOP	2143400	214340	21434

PALLAV PURAM PHASE -1 HOUSING SCHEME (SHOPS)								
	441	B	3	15.41	SHOP	940328	94033	9403
	442	B	4	15.41	SHOP	940328	94033	9403
	443	B	5	15.41	SHOP	940328	94033	9403
	444	B	6	15.41	SHOP	940328	94033	9403
	445	B	8	16.02	SHOP	977550	97755	9776
	446	B	10	14.19	SHOP	865882	86588	8659
	447	B	12	14.76	SHOP	900664	90066	9007
	448	B	13	14.19	SHOP	865882	86588	8659
RAKSA PURAM HOUSING SCHEME (SHOPS)								
	449	4	4	12	SHOP	1739600	173960	17396
	450	4	5	12	SHOP	1739600	173960	17396
	451	4	6	12	SHOP	1739600	173960	17396
	452	4	7	12	SHOP	1739600	173960	17396
	453	4	8	12	SHOP	1739600	173960	17396
	454	4	14	12	SHOP	1739600	173960	17396
	455	4	15	12	SHOP	1739600	173960	17396